:: न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्र.सं. : 33/2025

CIS No. : 33/2025

रामनाथी बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

........प्रार्थिया

बनाम

जनसामान्य।

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

उपस्थितः-

01. श्री भूरालाल मीणा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से।
02. अप्रार्थी जनसामान्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:: आदेश :: दिनांकः-11.05.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया रामनाथी बाई की ओर से दिनांक 06.08.2025 को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थिया का पुत्र दारासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी देवली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ सब-स्टॉफ (पीएफ 073718) के पद पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में कार्यरत था। जिसकी सेवा के दौरान दिनांक 03.10.2023 को मृत्यु हो गई। दारासिंह की बचत खाता सं. 3336744867 में जमा राशि 7,71,864 रूपये व खाता सं. 2303473833 में जमा राशि 9211.16 रूपये व खाता सं. 3337819288 में जमा राशि 1118 रूपये तथा अन्य ग्रेच्युटी क्लेम राशि व बीमा राशि रूपये जमा है। उक्त धनराशि दारासिंह ही मालिक स्वामी है। जो जीवित रहा तब तक बैंक में सेवा कर रहा था और उसके बचत खाता में जमा राशि तथा गेच्युटी व बीमा राशि पर उसका ही मालिकाना हक रहा है। दारासिंह की मृत्यु दिनांक 03.10.2023 को हो गई है। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थिया ही एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है इसलिए वह प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित जमा राशि व ग्रेच्युटी बीमा राशि की मालिक व स्वामी है। प्रार्थिया

ने अपने स्वर्गीय पुत्र दारासिंह के बैंक में जमा राशि व ग्रेच्युटी बीमा राशि के बारे में जानकारी होने पर दिनांक 27.07.2025 को बैंक मैनेजर से मांग की तो उन्होंने राशि देने से साफ इन्कार कर दिया और न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाकर पेश करने को कहा जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थिया के पुत्र स्वर्गीय दारासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी देवली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ के बचत खाता सं. 3336744867 में जमा राशि 7,71,864 रूपये व खाता सं. 2303473833 में जमा राशि 9211.16 रूपये व खाता सं. 3337819288 में जमा राशि 1118 रूपये तथा अन्य ग्रेच्युटी क्लेम राशि व बीमा राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

2. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी जनसामान्य के नोटिस की दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक तामील प्रकाशित करवाई गई। अप्रार्थी जनसामान्य की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं आया जिस पर अप्रार्थी जनसामान्य के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. साक्ष्य प्रार्थिया एकपक्षीय में प्रार्थिया की ओर से गवाह ए.ड. 1 रामनाथी बाई, ए.ड. 2 मोतीलाल व ए.ड. 3 प्रभूलाल के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध करवाए। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 9 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

4. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप कथन किया कि प्रार्थिया का पुत्र दारासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी देवली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ का निवासी था जो कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में सब स्टॉफ (पीएफ 073718) के पद पर कार्यरत था। सेवा के दौरान दिनांक 03.10.2023 को उसकी मृत्यु हो गई है। प्रार्थिया के पुत्र के बचत खाता सं. 3336744867 में जमा राशि 7,71,864 रूपये व खाता सं. 2303473833 में जमा राशि 9211.16 रूपये व खाता सं. 3337819288 में जमा राशि 1118 रूपये जमा है। प्रार्थिया अपने मृतक पुत्र दारासिंह की एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है, उसके अतिरिक्त दारासिंह का अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। अतः उक्त तीन बैंक खातों में जमा राशि को प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

5. सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रार्थना को निस्तारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है कि-

> "आया प्रार्थिया अपने मृतक पुत्र दारासिंह के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाता सं. 3336744867 में जमा राशि 7,71,864 रूपये, खाता सं. 2303473833 में जमा राशि 9211.16 रूपये व खाता सं. 3337819288 में जमा राशि 1118 रूपये तथा इस पर अन्य परिलाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अधिकारी है?

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में प्रार्थिया साक्षी क्रमांक 1 रामनाथी बाई ने मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र के अभिकथनों का समर्थन किया है और मृतक दारासिंह के प्रश्नगत तीन बचत खातों में जमा राशि तथा गेच्युटी व बीमा राशि का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कथन किया है। साक्षी ने मृतक दारासिंह का वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 पेश किया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा दारासिंह के पत्नी व बच्चे न होना व बेऔलाद होने तथा वर्तमान में उसकी माता श्रीमती रामनाथी बाई जीवित होने का तथ्य प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा प्रदर्शित करवाए गए दस्तावेजों में मृतक दारासिंह के बचत खाता संख्या 3336744867 के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 2 के अनुसार उसके खाते में राशि 7,71,922 रूपये जमा हैं। मृतक के अन्य बचत खाता सं. 3337819288 के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 3 के अनुसार 1118 रूपये उसके खाते में जमा है तथा उसके अन्य बचत खाता सं. 2303473833 के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 4 के अनुसार 9211.16 रूपये जमा हैं। मृतक दारासिंह की मूल पासबुक प्रदर्श 5, स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श 6, मृतक दारासिंह का जनआधार कार्ड प्रदर्श 7 व उसका राशन कार्ड प्रदर्श 8 तथा मृतका का आधार कार्ड प्रदर्श 9 पेश कर प्रदर्शित करवाए हैं।

7. पत्रावली में प्रस्तुत दारासिंह के बचत खाता संख्या 2303473833 व बचत खाता संख्या 3336744867 की पासबुक एवं बचत खाता सं. 3337819288 के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मृतक के नोमिनी के रूप में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है। मृतक के राशन कार्ड व जनआधार कार्ड में भी किसी वारिस का नाम अंकित नहीं है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र व अपनी साक्ष्य में स्वयं की मृतक की एकमात्र उत्तराधिकारी

होना बताया है। साक्ष्य में उपस्थित साक्षी क्रमांक 2 मोतीलाल मृतक का निकट संबंधी है और साक्षी क्रमांक 3 प्रभूलाल मृतक का भाई है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में प्रार्थिया के अभिकथनों की सम्पुष्टि की है। साक्ष्य से प्रार्थिया के अतिरिक्त मृतक दारासिंह का अन्य कोई उत्तराधिकारी होना प्रकट नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी साक्ष्य में पेश किया गया है। प्रकरण में जनसामान्य की सार्वजनिक तामील प्रकाशिक करवाए जाने के उपरांत किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिकथनों व इसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थिया रामनाथी बाई मृतक की माता है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत मृतक की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः प्रार्थिया रामनाथी बाई मृतक दारासिंह की माता होने के आधार पर उसकी उत्तराधिकारी होना साबित पाया जाता है।

8. प्रकरण में मृतक दारासिंह के प्रश्नगत तीन बैंक खातों की राशि का समुचित विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्रेच्युटी राशि व बीमा राशि उक्त खातों में जमा राशि से भिन्न या अतिरिक्त राशि हों ऐसा अभिकथन नहीं है और ना ही इसका पृथक से कोई विशिष्ट विवरण स्पष्ट किया गया है।

9. अतः समस्त तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थिया रामनाथी बाई हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित बचत खाता सं. 3336744867, बचत खाता सं. 2303473833 व बचत खाता सं. 3337819288 में जमा राशि व उस पर देय परिलाभ, यदि कोई हों तो, को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारिणी होना पाई जाती है और प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

10. अतः प्रार्थिया **रामनाथी बाई** पत्नी लक्ष्मीनारायण, निवासी देवली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** विरूद्ध

अप्रार्थी जनसामान्य एकपक्षीय रूप से **स्वीकार** किया जाता है एवं प्रार्थिया **रामनाथी बाई** पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी- देवली तहसील अकलेरा जिला-झालावाड़ (राजस्थान) को मृतक दारासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी देवली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाता सं. 3336744867 में जमा राशि 7,71,922 रूपये, बचत खाता सं. 2303473833 में जमा राशि 9,211.16 रूपये व बचत खाता सं. 3337819288 में जमा राशि 1,118 रूपये एवं उस पर विधितः संदेय अन्य परिलाभ, यदि कोई हों, को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। प्रार्थिया प्रकरण की विषय वस्तु उक्त धनराशि के सम्बन्ध में देय समुचित न्याय-शुल्क नियमानुसार पेश करे, तदुपरांत प्रार्थिया रामनाथी बाई के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

11. यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित- मुद्रांकित किया गया एवं विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड ।

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.13 08:48:19 IST